राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 162 जनवरी 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

वर्ष 2012 राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा के ऊर्जस्वी नेतृत्व में आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाली हिंसा और अन्याय को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से और अधिक अथक प्रयास किया है। इस समय बीते वर्ष में आयोग के कार्यों और उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को मिले निदेश के अनुरूप, जो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा का पुनर्रीक्षण करना है, उपचारी कानूनी उपायों की सिफारिश करनी है, शिकायतों का निवारण करने में मदद करना है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीति मामलों पर सरकार को परामर्श देना है, आयोग ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और गत वर्ष के दौरान उनकी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अथक कार्य किया है।

आयोग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया और शिकायतों के बारे में स्वतः कार्यवाही की है ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

इसने बाल विवाह, दहेज के कारण होने वाली मौतें, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, घरेलु हिंसा, महिलाओं आदि पर यौन उत्पीड़न आदि मुद्दों पर कार्यवाही की है और कानून जागरूकता कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है, पारिवारिक महिला अदालतों का आयोजन किया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, पीएनडीटी एक्ट 1994, भारतीय दंड संहिता 1860, गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971 और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की पुनरीक्षा की जिससे इन्हें अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके और अपनी सिफारिशों को सरकार को भेजा।

आयोग ने कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों का आयोजन किया, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन किया, महिला जागरूकता सेमिनारों का आयोजन किया और कन्या भ्रूण हत्या,

चर्चा में राष्ट्रीय महिला आयोग के निरंतर आगे बढ़ते कदम

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा आदि के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जिससे इन सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध समाज में

श्रीमती ममता शर्मा

जागरूकता पैदा की जा सके। सशक्तिकरण के साथ अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने वृद्धि और विकास पर भी बहुत अधिक जोर दिया।

आयोग ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के राज्य आयोगों के साथ लघु वीडियो कांफ्रेंस सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के कथित मामलों की जांच करने के लिए अनेक जांच समितियां भी गठित की।

शिक्षा और विकास के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अध्यक्षा ने विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में 'महिला अधिकार अभियान' नाम से एक अभियान चलाया ताकि महिलाओं को विभिन्न सरकारी स्कीमों के अंतर्गत उनकी पात्रता और लाभ के बारे में सूचित किया जा सके और वे महिला भेदभाव और उन पर होने वाले अत्याचारों से निबटने वाले महिला संबंधित कानूनों के बारे में जागरूक हो सकें।

वैवाहिक विवादों को देखते हुए, विशेषकर एनआरआई विवाहों के संबंध में, ऐसे विवाहों से संबंधित शिकायतों से निबटने के लिए आयोग को नोडल एजेंसियों के रूप में चुना गया है। इसने पीड़ित महिलाओं के लिए 24x7 की हेल्पलाईन सेवा भी आरम्भ की है, और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर अखिल भारतीय अभियान चलाया है और विभिन्न महिला संबंधित मुद्दों पर विशेष अध्ययन भी आयोजित किया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने एक उच्च स्तरीय टीम के साथ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से भी मुलाकात की और उनसे संसद और अन्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। राष्ट्रीय महिला आयोग सभी संबंधित मंचों पर इस मामले में अथक रूप से अभी कार्यवाही करने में है।

यह स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने काफी सफलता हासिल की है, फिर भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतीज्ञा करता है कि वह हमारे देश में महिलाओं के कष्टों को दूर करने और उन्हें महिला न्याय और बराबरी दिलाने हेतु उचित कदम उठाने के लिए और अधिक मेहनत से कार्य करेगा।

पीसी और पीएनडीटी एक्ट के बारे में राष्ट्रीय परामर्श

हाल में, नई दिल्ली में "पीसी और पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों में सुधार करने के लिए नीतियों का पुनरीक्षण" पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन हुआ। इस एक दिन के पुनरीक्षण में उन प्रयासों पर विचार हुआ हो, देश में लिंग-अनुपात में सुधार करने के लिए राज्य महिला आयोगों ने किए हैं। इसका उद्देश्य उन सुरक्षोपायों पर एक साथ जानकारी लाना है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने, विशेषकर गर्भ का पता करने के क्षेत्र में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी लाने, लिंग निर्धारण को रोकने और गवाहों और मुखबिरों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं।

परामर्श सत्र में (बाएं से) सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर, श्रीमती ममता शर्मा, सुश्री मीनाक्षी घोष और अनुराधा वेमुरी

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सुझाव दिया कि राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं को पीसी और पीएनडीटी एक्ट का निगरानी प्रमुख होना चाहिए जैसा कि महाराष्ट्र में इसकी कारगरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

परामर्श सत्र का उद्घाटन करते हुए अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक सबसे वीभत्स अपराध है और गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी और मीडिया को इन मामलों को उजागर करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। समाज की मानसिकता बदलने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम में दो विषय सत्र थे यथा - (i) पीसी और पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का सुधार करना; (ii) बाल लिंग-अनुपात में सुधार करना; इसमें राज्यों के पहल का पुनरीक्षण हुआ जिसमें राज्य आयोगों और विभिन्न राज्य अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। नामावली के प्रख्यात वक्ताओं - सुश्री अनुराधा वेमुरी, सुश्री सुमन पाराशर, डॉ. साबू जॉर्ज, सुश्री एनी राजा, सुश्री वर्षा देशपांडे, सुश्री अखिल शिवदास आदि ने इस अवसर पर बोला। प्रश्न-उत्तर के सत्र और खुली चर्चा के बाद अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया गया।

सिमबॉयोसिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा पुणे में सिमबॉयोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित 'इग्निसेंस 13', के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुई।

एसआईआईबी के विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टाफ एवं मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली में हाल में हुए वीभत्स बलात्कार का उल्लेख किया और युवाओं से जो भावी भारत के मार्गदर्शक हैं, अनुरोध किया कि वे कानूनों में महिलाओं की बराबरी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के बारे में समाज के पुरुष प्रधान मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए पहल करें। उन्होंने यह जोर देकर कहा कि भारत में महिला संबंधित बेहतर कानूनों की कमी है परन्तु दुःख प्रकट किया कि कानूनों के उचित क्रियान्वयन की कमी है।

बाद में, उन्होंने पुलिस के संयुक्त आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

अध्यक्षा सिमबॉयोसिस समारोह में दीप प्रज्वलित करती हुई

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर औरंगाबाद में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हुई जिसमें प्रतिभागियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया और महिलाओं और लड़कियों को, जो कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रकाशन वितरित किए। वह कृष्ण नगर चौक, नागपुर रोड, चन्द्रपुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में चर्चा की।

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर श्रोताओं को संबोधित करती हुई

सदस्या "भारतीय कला और संस्कृति में महिलाओं का योगदान" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए नागपुर गई। उसके बाद वह कमला नेहरू महाविद्यालय गई और कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने महिला प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया और कानूनी जागरूकता और महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर बोला।

श्रीमती प्रभावलकर भारतीय स्त्री शक्ति, नागपुर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी उपस्थित हुई और पुलिस अधिकारियों, पार्षदों, वकीलों, पेशेवर डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित किया। बाद में, वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और केन्द्रीय जेल गई और वहां जेल अधिकारियों और महिला संवासियों से चर्चा की।

● सदस्या शमीना शफीक ने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल (एएमपी) द्वारा मुंबई में आयोजित कैरियर उत्सव 2012 नाम के एक बड़े शैक्षिक उत्सव का उद्घाटन किया। इस दो-दिवसीय कैरियर उत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के प्रारंभिक चरण में मार्गदर्शन देना और बाहरी परिस्थिति से रूबरू कराना था। सदस्या ने अपने उद्घाटन भाषण में ऐसे उत्सव नियमित तौर पर आयोजित करने के महत्व और लड़कियों को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों की, उच्च शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में डॉ. वकर आजमी, ओबीई, वाटरहाउस कंसलटिंग ग्रुप, यू.के. के अध्यक्ष और प्रबंध पार्टनर, प्रधानमंत्री के पूर्व चीफ डायवर्सिटी एडवाइजर, यूरोपियन संसद के इंटरकल्चरल डायलॉग के पूर्व यू.के. राजदूत, गवर्नर, बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय उपस्थित हुए।

सदस्या मीडिया एसोसिएशन, मेरठ द्वारा आयोजित "कृषि विकास में आकाशवाणी की भूमिका" पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि देश में केवल 51% लोग संचार क्रांति का लाभ उठाते हैं और हरित क्रांति के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिला किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पुरुष किसानों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

श्रीमती शफीक ने लखनऊ में अल्पसंख्यक समिति के साथ बैठक की और गैर-सरकारी संगठनों और लखनऊ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ महिला संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

सदस्या नेहरू स्टडीज सेंटर और राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से जयपुर में आयोजित "ऑनर किलिंग : दि माइंड एंड दि माइंडसेटः चैलेंजेज एंड रिमेडीज़" पर एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिवार की इज्जत के नाम पर महिलाओं की हत्या मानवता का सबसे घोर अनादर है। उन्होंने कहा कि इस समस्या पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सदस्या शमीना शफीक

● राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना ऋषिकेष में टीएसडीसीआईएल के कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में आयोजित महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और आचरण संहिता पर कार्यक्रम में उपस्थित हुई। महिला संबंधी मुद्दों जिसमें महिला बराबरी के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान, संपत्ति रखरखाव का अधिकार, वैवाहिक कानून, घरेलू हिंसा, दहेज कानून, गर्भावस्था और मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शामिल हैं, आदि पर चर्चा हुई। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल श्री अज़ीज कुरैशी से भी मुलाकात की और उन्हें आयोग द्वारा तैयार 'आचरण संहिता' की एक प्रति भेंट की।

डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में आयोजित "विदेशों में बसे भारतीयों के मामले में मानवीय अधिकार" के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुई। उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय दुल्हनों को उनके एनआरआई पतियों द्वारा परित्यक्त किए जाने की बढ़ती समस्याओं पर चर्चा की।

उन्होंने राज्य सभा टीवी पर देश का कानून कार्यक्रम पर एक लाईव कार्यक्रम में और 'भारत में महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक संरक्षण' पर ज्ञान दर्शन के कार्यक्रम में भाग लिया, वह महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ग्रामीण कलाकारों के विकास के लिए कार्य कर रही *हील इंडिया* द्वारा आयोजित शाम-ए-सूफी कार्यक्रम में उपस्थित हुई। उन्होंने यस बैंक के चेयरमैन और *हील इंडिया* के प्रेसीडेंट के साथ मधुबनी कलाकार सुश्री ममता झा को पुरस्कार प्रदान किया।

सदस्या चारू वलीखन्ना (दाहिने से दूसरे) यस बैंक के चेयरमैन और हील इंडिया के प्रेसीडेंट के साथ मधुबनी कलाकार सुश्री ममता झा को पुरस्कार प्रदान करती हुई

महत्वपूर्ण निर्णय

● एक बीस वर्षीय लड़की की, जिसे बहराइच स्थित उसके पिता ने परित्यक्त कर दिया था, सहायता में मुम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक वयस्क अविवाहित बेटी अपने पिता से भरण पोषण भत्ता पाने की पात्र है। लड़की के पिता ने, जो तीन बच्चों के पिता हैं, अपने दो नाबालिग बच्चों को भरण पोषण भत्ता देना स्वीकार किया परन्तु यह कहते हुए बड़ी लड़की को भत्ता देने से इंकार कर दिया कि वह बालिग है।

● विवाह पंजीकरण अब आसान होगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस नई प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थियों को केवल दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर लॉग ऑन करके फार्म भरना होगा। आवेदन पत्र ऑन लाइन देना होगा और एक पावती स्लिप भी जारी होगी। प्रार्थियों को मिलने का समय दिया जाएगा। उसको उसी दिन दस्तावेजों के जांच करने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा। जब वे ऑफिस आएंगे तो उन्हें फार्म में परिवर्तन करने का अवसर दिया जाएगा। वे गवाहों की सूची में भी परिवर्तन कर सकते हैं।

● राजधानी में समाज कल्याण की सभी स्कीमों के बारे में जानकारी अब जेंडर रिसोर्स सेंटर (जीआरसी) को उपलब्ध की जाएगी जिससे वे समाज के सबसे कमजोर तबकों की स्कीमों के लाभों को हितधारकों के घरों तक पहुंचाएगा और प्रशिक्षण देने के अलावा ये सेंटर उनको उपयोगी सूचना देकर महिलाओं को सशक्त भी बनाएंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित जांच समितियां

● सदस्या शमीना शफीक की अध्यक्षता में एक जांच समिति ने जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री हेमलता खेरिया थीं, एक मीडिया रिपोर्ट की जांच की जो "बस्तर हॉस्टल में बलात्कार के मामले में अध्यापक, चपरासी गिरफ्तार" शीर्षक से *एशियन एज* में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में बस्तर क्षेत्र के कांकेर जिले में एक रिहायशी स्कूल में एक अध्यापक और एक चपरासी को इन आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया कि वे हॉस्टल में अवयस्क जनजातीय महिलाओं से बलात्कार करते रहे हैं। बाद में, समिति ने पुलिस, गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं और रायपुर के प्रमुख नागरिकों से चर्चा की।

अधेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।